Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय अति0 कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मोहनलाल बनाम **लेहरीलाल वगैराह**

किस्मा मुकदमा **राजस्व अपील** नं0 **009** सन् **2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2021	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। अपीलांट स्वयं हाजिर। हाजिर वकील अपीलांट ललित झंवर ने रेस्पोडेंट की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही स्थगित का जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र बाबत् कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में बताया कि उक्त नामान्तरकरण में वर्णित आराजीयात का एक प्रकरण स्वयं अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन में पेश किया जो वर्तमान में सहायक कलक्टर भोपालसागर में विचाराधीन है जो मु0नं0 203/2015 रेवेन्यु वाद होकर आगामी पेशी दिनांक 03.02.2021 की नियत है। पक्षकारान के मध्य इसी आराजीयात को लेकर सक्षम न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन होने से नामान्तरकरण से संबंधित संक्षिप्त कार्यवाही मूल वादके निस्तारण तक स्थगित रखी जानी चाहिये व दावे में होने वाले निर्णय के आधार पर ही राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया जना चाहिये। इस पर अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया एवं कार्यवाही स्थगित किये जाने बाबत कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। हस्तगत अपील में प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में सहायक कलक्टर भोपालसागर में वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दर्ज रजिस्टर होकर विचाराधीन है, जिसके प्रकरण संख्या 203/2015 होकर विगत पेशी दिनांक 21.10.2020 रही है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कार्यवाही स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं इस संबंध में उभयपक्षकारान द्वारा सहमति व्यक्त की गई ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् नामान्तरकरण मौजा कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर नामान्तरकरण संख्या 2207 दिनांक 08.05.2020 में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालसागर के प्रकरण संख्या 203/2015 अनवानी मोहनलाल वगैराह बनाम नोजी वगैराह के अंतिम निर्णय दिनांक तक कार्यवाही स्थगित की जाती है। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालसागर को बाद निर्णय के निर्णय की प्रति प्रेषित किये जाने हेतु तहरीर जारी करें। उभयपक्ष हाजिर पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालसागर के प्रकरण संख्या 203/2015 के अंतिम निर्णय उपरांत चराजोही हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हों, तब तक हस्तगत अपील में कार्यवाही स्थगित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तब तक पत्रावली [illegible] से कम की जावें, तद्नुसार अभिलेख में अंकन [illegible] जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ratan Kumar Date: 2021.02.24 17:14:31 IST Reason: SelfAttested ([illegible] कुमार) अति[illegible]त कलेक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ **12.02.2021**	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official